न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/204

रामदेव आत्मज श्री नाथ्या उर्फ नाथू लाल जाति चमार बैरवा निवासी ग्राम चाढगॉव तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. बाबूलाल आत्मज श्री बजरंग लाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम चाढगॉव तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. राजेन्द्र
3. धर्मराज
4. शंकर
5. आत्माराम पिसरान श्री बाबूलाल जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम चाढगॉव तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 23.01.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 (2) के अन्तर्गत ग्राम चाढगॉव तहसील के0 पाटन की आराजी खसरा नम्बर 61 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा संख्या 524 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 767/664 रकबा 0.29 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 0.91 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि प्रार्थी ने पिछले 6–7 वर्ष पूर्व अप्रार्थीगण को आराजी खसरा नम्बर 61 रकबा 0.52 हैक्टर भूमि जुवारे काश्त पर दी थी । अब प्रार्थी ने उक्त भूमि खाली करने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण प्रार्थी से झगडा करने को तैयार हो गये और जबरन ताकत के बल पर कब्जा बनाये रखना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । उक्त भूमि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि है जिस पर अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है ।

अतः प्रार्थी के हक में विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रार्थी के खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 61 रकबा 0.52 हैक्टर पर तहसीलदार, के0 पाटन को रिसीवर नियुक्त किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.04.2017 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2017 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थी अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि है जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा जबरन ताकत के बल पर अतिक्रमण कर लिया है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि है और अपीलान्ट के हितों को सुरक्षित रखने हेतु उक्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक था विकल्प में उक्त भूमि पर नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने का आदेश दिया सकता था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अपीलान्ट का प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी अपीलान्ट के पक्ष में है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2017 निरस्त फरमाया जावे एवं वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 61 रकबा 0.52 हैक्टर पर तहसीलदार, के0 पाटन रिसीवर नियुक्त किया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर साबित है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी अपीलान्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है । इस प्रकार अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं ।

9. प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण के समय होगा अभी अस्थायी निषेधाज्ञा की स्टेज पर केवल हमे इतना देखना है कि प्रथमदृष्टया प्रकरण किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना किसके पक्ष में है । चूँकि प्रस्तुत प्रकरण प्रार्थी अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं और रिकॉर्डेड खातेदार के हितों को संरक्षित रखने का दायित्व न्यायालय का भी है । इस प्रकार प्रार्थी अपीलान्ट का प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी अपीलान्ट के पक्ष में है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2017 निरस्त किया जाता है । वादग्रस्त आरांजी पर यदि रेस्पोडेन्ट अपना कब्जा बनाये रखना चाहते हैं तो वह मूल वाद के निस्तारण तक 2500/– रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से निर्णय की दिनांक से एक माह के अन्दर तहसीलदार, के0 पाटन को जमा कराकर उक्त भूमि पर काश्त कर सकते हैं । यदि अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट उक्त पालना करने में असफल रहते हैं तो तहसीलदार, के0 पाटन को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त भूमि को कब्जे राज लेकर उक्त भूमि पर नीलामी द्वारा काश्त करवाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

11. निर्णय आज दिनांक 23.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दिनाक .....